

तारं का पता: "मिनीस्टील"

Telegraphic Address : "MINISTEEL"



सूचना का
अधिकार

सं० _____
No. 31016 | 3 | 2012 - Ad (G)

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

इस्पात मंत्रालय

MINISTRY OF STEEL

उद्योग भवन

UDYOG BHAWAN

नई दिल्ली-110107

New Delhi-110107

दिनांक 2 /05/2012

सेवा में,

संलग्न सूची के अनुसार

विषय:-इस्पात मंत्रालय में वर्ष 2012-13 में पेस्ट कन्ट्रोल एवं फर्श (टाईल की सफाई) के लिये मुहरबंद निविदाये मंगाने के सम्बंध में।

महोदय,

अधोहस्ताक्षरी को उपरोक्त विषय पर यह कहने का निदेश हुआ है कि यदि आपकी फर्म उपरोक्त कार्य को करने की इच्छुक है तो निविदाएं दिनांक/4.05.2012 को सुबह 11.00 बजे तक कक्ष सं. 64, उद्योग भवन में भेजी जा सकती है। प्राप्त निविदाओं को उसी दिन सुबह 11.30 बजे आवेदक फर्मों के इच्छुक उपस्थित प्राधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोला जाएगा। निविदा के साथ 5,000/- रुपये का बैंक ड्राफ्ट (वेतन एंव लेखा अधिकारी, इस्पात मंत्रालय के नाम देय होगा) बैंक ड्राफ्ट अवश्य सलांगन करे अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

2 इस्पात मंत्रालय में सक्षम प्रधिकरी के पास बिना कारण बताए किसी भी निविदा को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है।

भवदीय,

(सरेन्द्र कुमार गुप्ता)
अवर सचिव, भारत सरकार

शर्तों:-

1. कीटनाशिक दवाई का छिड़काव कक्षों, गलियारों एवं इस्पात मंत्रालय द्वारा अधिग्रहित क्षेत्र में कराया जायेगा।
2. अनुबंधकर्ता फर्म को कीटनाशी छिड़काव से सम्बद्धित सभी मशीने एवं सामग्री अपनी लागत पर प्रयोग करनी होगी तथा निविदा में प्रयोग की जाने वाली समस्त रासायनिक दवाओं/पदार्थों के नामों का उल्लेख करना होगा।
3. यह फर्म की जिम्मेदारी है कि वह मंत्रालय अधिग्रहित क्षेत्रों को कीट दीमक आदि से मुक्त रखे इसके लिये वह प्रशिक्षित कर्मी रखे। किसी प्रकार की परिवहन लागत को मंत्रालय द्वारा वहन नहीं किया जायेगा।
4. यदि फर्म द्वारा कार्य संतोषजनक नहीं पाया गया तो किसी भी समय कार्य किसी भी अन्य फर्म द्वारा कराया जा सकता है। इसका उत्तरदायित्व अनुबंधित फर्म का होगा।
5. फर्म को जमानत के रूप में 5000 रुपये का डिमाड ड्राफ्ट वेतन एवं लेखा कार्यालय, इस्पात मंत्रालय, नई दिल्ली के नाम जमा कराना होगा किसी भी रूप में शर्तों का उल्लंघन करने पर इसका हर्जाना फर्म भरना होगा।
6. सक्षम अधिकारी को किसी भी समय अनुबंध को बिना कारण बताये समाप्त करने सम्बन्धित समस्त अधिकार प्राप्त है।
7. सेवा कर / बिक्री कर या कोई भी अन्य कर की जानकारी अलग से देनी होगी।
8. अनुबंध की अवधि अनुबंध की अवधि 01.4.2012 या अनुबंध पत्र देने की तारीख दोनों में से जो भी पहले एवं बाद में हो से 31.03.2013 तक के लिये होगी।
9. कार्य सम्पादन के बाद बिल (तीन प्रतियों में) कार्य संतोषजनक होने का प्रमाण पत्र सम्बद्धित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर सहित प्रस्तुत करना होगा इसके बाद ही मंत्रालय बिल का भुगतान करेगा।
10. यह छिड़काव निर्देश अनुसार कार्य दिवस पर साये अथवा छुट्टीयों के दिन/शनिवार आदि को कार्यालय की सुविधा अनुसार कराया जायेगा। प्रयास होगा कि एक समय पर कम से कम एक Floor पर छिड़काव हो जाये।
11. फर्म को सुनिश्चित करना होगा कि पेस्ट कन्ट्रोल Health safty Standard के अनुरूप ही होगा।
12. फर्म के पास इस तरह के कार्य के लिए आवश्यक प्राधिकारी का प्रमाण पत्र होना चाहिए यदि कानूनन आवश्कता हो तो।

सुरेश कुमुर
अवर साई
इस्पात मंत्रालय / Ministry of Steel
भारत सरकार / Govt. of India
नई दिल्ली / New Delhi

- 3 -

क्र.सं.

मद्

दरे (प्रति वर्ग फुट)

1. विट्रिफाइड टाईल पालिश सहित -----
2. काजरिया टाईल पालिश सहित -----
3. पेस्ट कन्ट्रोल -----

21/12
सुरेन्द्र कुमार गुप्ता / S. K. GUPTA
अवर सचिव / Under Secretary
इस्पात मंत्रालय / Ministry of Steel
भारत सरकार / Govt. of India
नई दिल्ली / New Delhi